



कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

(हवामहल के पीछे, पुराना पुलिस मुख्यालय, बड़ी चौपड़, जयपुर)
(लैण्ड प्रकाश)

क्रमांक : एफ-11() लैण्ड बैंक / ननिज (हैरिटेज) / 2024 /

दिनांक:-

नीलामी की सूचना (01)

नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा निम्न आवासीय भूखण्डों की 99 वर्ष की लीज पर निम्नानुसार दिनांक 29.04.2024 को नीलामी की जा रही है। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित अमानता राशि ऑनलाईन (प्रति भूखण्ड) "नगर निगम जयपुर हैरिटेज" की वेबसाईट www.jaipurmcheritage.org पर ऑनलाईन जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकते हैं, (नगद राशि स्वीकार्य नहीं होगी)।

कार्यक्रम

नीलामी प्रक्रिया
ई-ऑक्शन

नीलामी कार्यवाही
दिनांक 29.04.2024 को सुबह 10.00 बजे से
सायं 05.00 बजे तक।

क्र. सं.	योजना का नाम/स्थान	व्यावसायिक दुकान/आवासीय कवरेज सेटबैंक	निर्मित भूखण्ड बी.ए.आर. प्रचलित	साईंज व.मी. (लगभग)	किस्म/प्रकार	अमानता राशि रु. (प्रति भूखण्ड) ऑनलाईन	नीलामी बोली प्रारम्भ करने की दर रूपये (प्र.व. मी.)
1.	शास्त्री नगर शॉपिंग सेन्टर, जयपुर	इम्पीरियल हॉस्पिटल के पास खाली भूखण्ड सं. 56-बी	817.69	आवासीय	981228.00	60,000.00	

नोट:- (1) भूखण्ड जहाँ है जैसा है, के आधार पर नीलाम किये जायेंगे। (2) नीलामी में भागीदारी शुल्क 5000/- होगी जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगी एवं समायोजन प्रकृति का नहीं होगा। (3) आवासीय भूखण्डों की नीलामी बोली न्यूनतम 100 रूपये के गुणज बढ़ाकर लगाये जाने पर ही स्वीकार होगी। (4) मौके पर क्षेत्रफल उपलब्धता के अनुसार घट-बढ़ सकता है, तदानुसार अनुपातिक राशि घट-बढ़ सकती है। (5) यदि भूखण्ड ईको सेन्सेटिव जोन के 1 किमी. के बफर जोन में स्थित होगा, तो रिक्त भूखण्ड पर नया निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा। (6) ई-ऑक्शन में उच्चतम बोली ही स्वीकार की जावेगी। (7) The highest bidder shall be required to deposit 15% amount of his bid within three working days from the date of auction. In case of failure to deposit the said amount within prescribed time limit, the EMD deposited by the bidder shall be forfeited and auction of land shall automatically stand cancelled. (8) The bid shall be subject to the sanction or rejection within 5 working days from the date of auction and demand note shall be issued within 2 days from the date of sanction of the bid. (9) The bid shall be subject to the sanction of the Chairperson of the Municipality in whom the rights are reserved to accept or reject any bid without assigning any reason thereof. (10) After acceptance of the Bid the successful bidder shall deposit 35% of the Bid amount within 120 days from the date of Auction. If bidder fails to deposit 35% amount within 120 days, after expiry of above period bidder may deposit due amount in next 60 days or within extended time period as per provisions of clause 9 alongwith interest at the rate of 15% on remaining amount from the date of auction. (11) Successful bidder shall deposit remaining 50% of the Bid amount within 180 days from the date of Auction. If bidder fails to deposit 50% amount within 180 days, after expiry of above period bidder may

RajKaj Ref
636126



deposit due amount in next 90 days alongwith intrest at the rate of 15% remaining amount from the date of auction. (12) If the successful bidder deposit the full amount within 15 days from the date of demand note, he will get 1% rebate of the bid amount. (13) In case of failure to deposit the amount within the extended time period, the 15% amount initially deposited shall be forfeited and auction of the land shall automatically stand cancelled. (14) नीलामी बोली स्वीकृत / अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज में निहित है। (15) दो से अधिक व्यक्तियों के नाम सम्पत्ति लिये जाने पर पार्टनरशिप डीड़ दिया जाना आवश्यक होगा, फर्म या अन्य व्यक्ति के नाम से बोली लगाने पर पावर ऑफ अटोर्नी एवं पहचान पत्र देना होगा। शेष शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालय समय में, कार्य दिवस को उपायुक्त (लैण्ड शाखा) एवं राजस्व अधिकारी (लैण्ड शाखा) से प्राप्त की जा सकती है। (16) नीलामी बोली दाताओं को रजिस्ट्रेशन फीस, नीलामी भागीदारी शुल्क एवं अमानता राशि ऑनलाईन नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाईट **www.jaipurmcheritage.org** पर जमा करवाने पर ही निलामी की बोली में मान्य किया जायेगा। नीलामी से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट **www.jaipurmcheritage.org** पर देखा जा सकता है। इच्छुक निलामी बोली दाताओं को अपने user id व password के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। (17) भूखण्ड नीलामी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राज. नगर पालिका (शहरी भूमि निष्पादन नियम) 1974 एवं विभागीय आदेशों और परिपत्रों के अध्ययधीन होगी। (18) नीलामी में किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए श्री प्रेम प्रकाश, ए.सी.पी. न.नि.ज. हैरिटेज मो.नं. 9887764012 से सम्पर्क कर सकते हैं।

उपायुक्त (लैण्ड शाखा)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार नीलामी सूचना एक प्रमुख राज्य स्तरीय समाचार पत्र जिसका राजस्थान राज्य में प्रचार हो तथा एक क्षेत्रीय समाचार पत्र जिसका उक्त क्षेत्र में साधारणतया प्रचार हो के समस्त संस्करण के आगामी अंक दिनांक 10.04.2024 में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का कष्ट करें।
2. प्रोग्रामर, ई-गवर्नेंस, नगर निगम जयपुर, हैरिटेज को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निलामी सूचना को वेब साईट पर डालने का श्रम करें।

उपायुक्त (लैण्ड शाखा)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज